>

Title: Madam Speaker addressed the House under Rule 360 regarding special sitting to commemorate the 60th Anniversary of the first sitting of Parliament of India.

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, लोक सभा की पहली बैठक की साठवीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं आप सबको और देश की जनता को बधाई देती हूं। इस उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष बैठक में

" भारतीय संसद की 60 वर्षों की यात्रा " पर होने वाली चर्चा हमारे संसदीय इतिहास में एक नए अविस्मरणीय अध्याय का शुभारम्भ करने जा रही है।

लोकतांत्रिक मूल्यों में भारत की जनता की अनन्य निष्ठा ही हमारी संसदीय प्रणाली की आधारशिला है। साधारण एवं उपेक्षित लोग, जो अपने अस्तित्व के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते हैं, दिन-रात कड़ी मेहनत कर रोज़ी-रोटी कमाते हैं और साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया में भी बड़ी उमंग से बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं, ऐसे अनजान भारतीयों की आस्था ही हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व और उसकी सफलता की कुंजी है। संसद देश की जनता की संप्रभु इच्छा की प्रतीक है और उसके मूलभूत अधिकारों और लोक हितों की सर्वोच्च प्रहरी भी। मैं अपने देशवासियों की प्रखर राष्ट्रचेतना को नमन करती हूं। साठ वर्षों की यात्रा उन्हीं के कारण सफल हुई है। वे ही हमारे लोकतंत्र के दिशा-निर्धारक हैं। हमारी लोकशाही उन्हीं का यशगान है।

मैं उन संविधान निर्माताओं के प्रति भी अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त करती हूं जिन्होंने स्वतंत्रता, न्याय, समानता और मानव गरिमा के उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए संसदीय प्रणाली की स्थापना की। तभी से यह माननीय सभा समय की अग्नि-परीक्षा में खरी उतरी है और हमारी विशाल जनसंख्या की व्यापक मांगों को व्यक्त करने और उनका समाधान खोजने की दिशा में संकल्पशील महाप्रयत्न करती रही है।

13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक के साथ हमारा लोकतंत्र नवोन्मेष की नयी ऊष्मा लेकर राष्ट्रीय क्षितिज पर अवतरित हुआ। भारत के लम्बे इतिहास की यह सबसे अद्भुत घटना थी कि जो अब तक किसी गिनती में नहीं थे, वे देश को चलाने में बराबर के हिस्सेदार बन गए। अमीर-गरीब, शक्ति-सम्पन्न अथवा नितान्त निरसहाय - सभी को एक वोट का अधिकार मिला। संसद की दीवारें साक्षी हैं कि उस समय कृति का ऐसा झोंका आया कि सब कुछ बदल गया।

जब मैं अध्यक्ष बनी तो पाया कि सदन का संचालन करने के लिए नियमों, परम्पराओं, परिपाटियों, पूर्व अध्यक्षों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं उनके निर्णयों का विशाल भण्डार मेरे सामने है। इनमें से बहुत से लोकसभा के प्रारम्भिक काल में बने और फिर लगातार यह प्रक्रिया चलती रही। जिस प्रकार हमने संसद को विकसित और सुदृढ़ किया है, निर्विवाद रूप से, उसकी कीर्ति की भीनी खुशबू चारों ओर फैल गई है। वेस्टमिन्सटर शैली में उस समय रोपा गया, वह पौधा अब वट वृक्ष बन गया है। इसकी अपनी अलग पहचान है। मुझे खुशी होती है कि केवल वे देश ही नहीं जहां जनतंत्र अपने शैशवकाल में है, बल्कि वे देश भी जहां यह परिपक्व हो चुका है, हमारे अनुभवों से सीखना चाहते हैं। सभा के कार्य-संचालन के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं तैयार करने में हम अपने सभी विद्वान पूर्ववर्ती अध्यक्षों, श्री जी.वी. मावलंकर, श्री एम.ए. आयंगर, सरदार हुकम सिंह, श्री एन. संजीव रेड्डी, श्री जी.एस. ढिल्लों, श्री बलिराम भगत, श्री के.एस. हेगड़े, श्री बलराम जाखड़, श्री रवि राय, श्री शिवराज पाटील, श्री पी.ए. संगमा, श्री जी.एम.सी. बालयोगी, श्री मनोहर जोशी और श्री सोमनाथ चटर्जी के अमूल्य योगदान को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं।

जनप्रतिनिधियों के लिए उनके अपने दलों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना बाध्यकर होता है और मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरना राजनैतिक जीवन की सफलता की कसौटी है। पर यह याद रखना चाहिए कि हमें राष्ट्रीय संसद के लिए चुना गया है और इतिहास हमारा मूल्यांकन इसी आधार पर करेगा। वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। 1962, 1965, 1971 के युद्ध तथा करगिल संघर्ष के समय सदन ने जैसी एकजुटता दिखाई और अपने सशस्त्र बलों का जिस दृढ़ता से समर्थन किया, वह हमारे लोकतत्र का अनुकरणीय पक्ष है।

इस सर्वोच्च विमर्शी संस्था के मंच से ही एक समतामूलक और प्रगतिशील भारत के लिए बहुत से दूरगामी और क्रांतिकारी कानून बनाए गए हैं। संसद ने बदलते समय के साथ अपने को ढाला है। समय की मांग को सुना है। इसी उद्देश्य से लगभग 3400 प्रगतिशील विधान बनाए गए हैं, जिनमें हिन्दू विवाह; बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन; सती (निवारण); राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; सूचना का अधिकार; महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण; नःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आदि शामिल हैं। सम्पूर्ण विकास और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए पांच सौ से अधिक विधान बनाए गए हैं, जिनमें अस्पृश्यता का अन्त, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मिलित हैं। संसद ने दहेज प्रतिषेध विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक और आतंकवाद निवारण विधेयक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए लोक सभा और राज्य सभा की तीन संयुक्त बैठकों का भी आयोजन किया।

इस दुर्गम यात्रा में हमारी संसद ने संविधान में 97 बार संशोधन किए, जिनमें दसवीं लोक सभा द्वारा पारित 73वें और 74वें निर्णायक संशोधन भी हैं, जिन्होंने दूर्वादल स्तर पर सत्ता प्रदान कीं और पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया। यह सर्वमान्य सत्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। पहली लोक सभा में 21 महिला सांसद थीं। तब से आज तक हम एक लम्बा रास्ता तय कर चुके हैं। अब पन्द्रहवीं लोक सभा में 60 महिला सांसद हैं, जो देश के सरोकारों को तत्परता से मुखरित करती हैं। हम सभी की उत्कट इच्छा है कि उनकी संख्या खूब बढ़े। यह प्रयास भी जारी है कि संसद में सभी वर्गों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पहचान, लोकाचार, प्रतिभा, मतमतांतर, हित दृष्टिकोण और उद्देश्य के अनुरूप प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। हमारी विविधता जो कभी हमारी कमजोरी समझी जाती थी, आज हमारे लिए अक्षय शक्ति पुंज है।

आज जब हम षष्टिपूर्ति का उत्सव मना रहे हैं, तब हम भारी मन से 13 दिसम्बर 2001 को इस पवित्र संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले का भी स्मरण कर रहे हैं। जिस बहादुरी से सी.आर.पी.एफ., दिल्ली पुलिस, आई.टी.बी.पी. के जवानों और संसद की वॉच एंड वार्ड के सुरक्षाकर्मियों ने उस हमले को नाकाम किया, उससे आतंकवाद से लड़ने की हमारी इच्छा और भी मजबूत हो गई है।

किसी भी राष्ट्र के जीवन में 60 वर्ष की अवधि बहुत लम्बी नहीं मानी जाती। पर यह ऐसा पड़ाव है जहां से पीछे मुड़ कर भी देखा जाता है और आगे की ओर भी। यह आत्मावलोकन की घड़ी है। आने वाली चुनौतियों का आकलन करने का समय है। यह संतोष का विषय है कि हम आर्थिक विकास कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि उसे और गति प्रदान करें। यह भी आवश्यक है कि विकास क्षेत्रीय रूप से संतुलित हो। उससे भी अधिक आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण के बीच

सामंजस्य बैठाएं वर्ना धीरे-धीरे यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी पर सबसे आवश्यक है कि विकास का लाभ उस तक पहुंचे जिसे गांधी जी कहते थे 'दरिद्र नारायण'।

यह एक अकाट्य सत्य है कि लोकतंत्र और जाति व्यवस्था साथ साथ नहीं चल सकते। लोकतंत्र समता पर आधारित है और जाति व्यवस्था ऊंच-नीच पर। दोनों में से एक को समाप्त होना ही होगा। आज जब हम पूरी शक्ति से यहां समवेत स्वर में लोकतंत्र का जयघोष कर रहे हैं तो उतनी ही ताकत से जाति व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा।

अब तक का हमारा सफर समतल रास्तों से होकर नहीं गुजरा है और न उन रास्तों से जो नीचे ढलान की ओर ले जाते हैं। भले ही कांटों से भरा हो, लेकिन हमने हमेशा वह रास्ता चुना जो ऊंचाई की ओर ले जाता है। हमारा यह संकल्प है कि आगे का सफर भी ऊंचाई की ओर ले जाने वाला हो ताकि भारत नित नूतन शिखरों को छुए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हिन्दी में अपना वक्तव्य पढ़ा।...(व्यवधान)

–